न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
06/2020	01-12-2020	22/04/2022

उनवान

01. श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री नत्थू
02. अजयपाल पुत्रान स्व. श्री नत्थू जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम टीहली तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: अपीलान्ट

बनाम

01. ग्राम पंचायत राईखेडा पंचायत समिति तिजारा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत राईखेडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. नवीन यादव पुत्र सुरेशचन्द जाति अहीर निवासी सिरोल तहसील व जिला गुरूग्राम (हरियाणा)

———:: रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व इंतकाल संख्या 937 दिनांक 04.08.2017
वाके ग्राम टिहली

उपस्थित –

अपीलान्ट – श्री चिरंजीलाल चावडा, एडवोकेट

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 – श्री अमित कुमार, एडवोकेट

–:: निर्णय ::–

सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि इंतकाल संख्या 937 दिनांक 04.08.2017 वाके ग्राम टिहली तहसील तिजारा के आदेश के विरूद्व पेश की जा रही है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत राईखेडा का आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरित पारित किया गया है, जिससे हम अपीलान्ट को काफी हानि उठानी पडी है। जिसे रूपयों मे नहीं आका जा सकता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत राईखेडा का आलौच्य आदेश नामान्तकरण संख्या 937 दिनांक 08.04.2017 संलग्न पत्रावली है। वाके ग्राम टिहली तहसील तिजारा जिला अलवर के मुनदर्ज इंतकाल संख्या 937 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 0.10 है0 431 रकबा 0.15 है0 किता 2 कुल रकबा 0.25 है0 का 41/122 हिस्सा सालम सुरेशचन्द पुत्र रामनाथ जाति अहीर निवासी सिरोल तहसील व जिला गुरूग्राम (हरियाणा) की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। सुरेश चन्द पुत्र रामनाथ ने अपनी उक्त सालम आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 24.07.2013 के वाकब्जा बाप्रतिफल हम अपीलान्ट को कर दिया, जो बयनामा उपपंजीयक महोदय तिजारा की पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 405 में पृष्ठ संख्या 192 क्रम संख्या 2013002882 पर दिनांक 24.07.2013 को पंजीबद्व हुआ है, जिस बयनामा की प्रति संलग्न अपील की जा रही है। हम अपीलान्ट को वक्त खरीद उक्त आराजी का कब्जा करा दिया गया था एवं उक्त समय से ही हम अपीलान्ट वर्णित आराजी पर काबिज है। अपीलान्ट ने बयनामा के आधार पर अपने हक में इंतकाल

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

... 1 के समक्ष नियत प्रफोर्मा व दस्तावेजात के साथ कर दिया किन्तु उस ... बन्द होने व रिकार्ड ऑनलाईन किये जाने के कारण हम अपीलान्ट के हक में ... धार पर इंतकाल बाद में चढा दिये जाने का आश्वासन दिया गया, जिस पर हमने विश्वास कर ... हम अपीलान्ट ने इस विषय में जानकारी नहीं की। हम अपीलान्ट इस सद्भाविक विश्वास में रहे कि हम अपीलान्ट के हक में बयनामेजात के आधार पर इंतकाल दर्ज व मंजूर हो गया है, किन्तु बावजूद आवेदन अपीलान्ट के हक में उपरोक्त उल्लेखित आराजीयात का इंतकाल का अमल दरामद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नहीं किया गया तथा पेन्डिग रखा गया, जिससे राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात में अपीलान्ट के नाम का अमल दरामद नहीं आया और राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात में आराजीयात सुरेशचन्द पुत्र रामनाथ के नाम ही दर्ज रही। तत्पश्चात सुरेशचन्द की फौत हो गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, जो सुरेशचन्द पुत्र रामनाथ के विधिक वारिस है, जिसको इस बात का भलीभांति ज्ञान था कि उनके पिता सुरेशचन्द ने अपने जीवनकाल में ही उपरोक्त उल्लेखित आराजीयात हम अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान कर चुका है। जिसके पश्चात उनका उक्त आराजीयात में कोई हक हकूक शेष नहीं बचा है। अपील में वर्णित आराजीयात सुरेशचन्द अपने जीवनकाल में ही जरिये बयनामा दिनांक 24.07.2013 हम अपीलान्ट का बाकब्जा बाप्रतिफल बेचान कर गया था बेचान के बाद से ही अपीलान्ट आराजीयात पर काबिज व काश्त है। सुरेशचन्द द्वारा अपने जीवनकाल में ही आराजीयात जरिये बयनामा बाकब्जा बाप्रतिफल बेचान करने की दिनांक से ही आराजीयात का टाईटल अपीलान्ट के हक में टांसफर हो गया था केवलमात्र राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात में नाम का अमल दरामद नहीं आया था। अपीलान्ट के हक में जरिये बयनामा टाईटल टांसफर होने के पश्चात आराजीयात के संबंध में जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में वसीयत का इंतकाल दर्ज व मंजूर हुआ है। उससे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आराजीयात का टाईटल प्राप्त नहीं होता है। अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड बयनामेंजात दिनांक 24.07.2013 के आधार पर हक में इंतकाल दर्ज करने के लिए नियत प्रफोर्मा में मय दस्जावेजात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत राईखेडा के समक्ष आवेदन कर दिया था एवं हम अपीलान्ट इस सद्भावी विश्वास में रहे कि अपीलान्ट के हक में आराजीयात का इंतकाल दर्ज व मंजूर हो गया है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत राईखेडा को इस बात का भलीभांति ज्ञान था कि आराजीयात हम अपीलान्ट द्वारा खरीद की जा चुकी है और अपीलान्ट आराजीयात पर काबिज काश्त है तथा बयनामा के आधार पर उनके समक्ष इंतकाल का आवेदन पेन्डिंग है, इसके बावजूद समस्त तथ्य जानते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अन्य रेस्पोडेन्टान के साथ साजबाज होकर सुरेशचन्द की वसीयत का इंतकाल संख्या 937 दिनांक 04.08.2020 को मंजूर किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा समस्त कार्यवाही जानबूझकर साजबाज होकर फर्जकारी एवं कूटरचना के तहत की गई है, जो काबिले अपास्त है एवं आराजीयात में अपीलान्ट के हकूकों के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत राईखेडा का आलौच्य आदेश दिनांक 04.08.2017 बावत इंतकाल संख्या 937 वाके ग्राम टिहली तहसील तिजारा को निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को यह आदेश दिया जावे कि रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 24.07.2013 के आधार पर वाके ग्राम टिहली तहसील तिजारा जिला में स्थित आराजी खसरा नम्बर 430 रकबा 0.10 है0, 431 रकबा 0.15 है0 किता 2 कुल रकबा 0.25 है0 आराजीयात का इंतकाल हम अपीलान्ट के हक में दर्ज व मंजूर करें एवं इसी कदर हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात में अपीलान्ट के नाम का अमल दरामद किये जाने के आदेश भी सादिर फरमाये जावें।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (...)

अपीलान्टा द्वारा प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम निम्न प्रकार पेश किया है कि विवादित इंतकाल संख्या 937 का आलौच्य आदेश दिनांक 04.08.2017 की जानकारी दिनांक 23.11.2020 व प्राप्त करने दस्तावेजात व जानकारी से पेश करने अपील हाजा तक का समय न्यायहित में कन्डोन फरमाने की कृपा करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। नोटिस की तामील के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित रहे इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उपस्थित होकर अपना इकबाल जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली पर अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि इंतकाल संख्या 937 दिनांक 04.08.2017 में दर्ज अपीलान्ट द्वारा बयनामा के आधार दर्ज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया गया। अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर इंतकाल संख्या 937 स्वीकार दिनांक 04.08.2017 को प्राप्त करने नकल व पेश करने अपील तक का समय न्यायहित में कन्डोन किया जाता है।

अतः इंतकाल संख्या 937 आदेश दिनांक 04.08.2017 वाके ग्राम टीहली ग्राम पंचायत राईखेडा अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार तिजारा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में बयनामा के संबंध में विस्तृत जांच की जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०